(1)	(2)	(3)

न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर (म०प्र०)

प्रकरण कमांक 0037/अ–20(3)/2024-27

म.प्र.शासन

वन विभाग...आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण...अनावेदक

—आदेश—

(पारित दिनांक 10/10/2024)

अंतर्गत म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 अन्तर्गत सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन ग्राम भाउखेडा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा कमांक 378 के कुल रकबा 21.125 हे0 हे0 में से 21.125 हे0 हे0 भूमि नोईयत ***शासकीय रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन*** स्थाई रूप से आवंटन किये जाने प्रारूप – एक मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर **अनुविभागीय अधिकारी आष्टा** से अध्याय–2 निर्देश–13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 में विहित प्रकिया अनुसार जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3. तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय में विधिवत दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ, आपत्ति आमंत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरांत नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण में स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि में कोई अभिमत/आक्षेप प्राप्त नही हुआ। जाँच प्रकिया उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा ग्राम भाउखेडा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा नम्बर 378 कुल रकबा 21.125 हे0 हे0 में से 21.125 हे0 हे0 नोईयत शासकीय आबादी दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण इस प्रकार है:–

(1)	(2)

कमांक	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में)
01	भाउखेड़ा	378	शासकीय	21.125 हे0	21.125 हे0

4. अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 अध्याय–2 नियम 14 अंतर्गत जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा ग्राम भाउखेडा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा कमांक 378 के कुल रकबा 21.125 हे0 21.125 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा–237 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये स्थाई आवंटन की सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5. प्रकरण में संलग्न अभिलेखो, तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के प्रस्ताव, <u>**जिला नजूल निर्वर्तन समिति से स्वीकृक्ति/अनुमोदन उपरांत**</u> मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 14 अन्तर्गत ग्राम भाउखेडा तहसील जावर जिला सीहोर की आराजी खसरा कमांक 378. के ***"कुल रकबा 21.125 हे0 में से 21.125 हे0 भूमि नोईयत शासकीय भूमि की नोईयत धारा–237 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत नजूल घोषित करते हुये, मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका–14 अन्तर्गत रेल लाईन निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को राजस्व भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है"*** :–

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तांतरित रकबा (हेक्टेयर में)
01	भाउखेड़ा	378	नजूल	21.125 हे0	21.125 हे0

शर्ते –

1. हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा।
2. आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर
जिला सीहोर

(1) | (2)

पृ०क्रमांक ....../1996 सीहोर दिनांक 10/10/24

प्रतिलिपि:–

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा) आष्टा/ तहसीलदार, जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखो में अमल करना सुनिश्चित करें। पालन उपरांत अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. सम्पर्क अधिकारी रेल विकास निगम लिमिटैड भोपाल रेल विकास निगम लिमिटैड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सीहोर